

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2023 (राजस्व अपील)

GCMS NO : 2023/25

अनवान

1. श्री दिलीप पिता मोगा मीणा निवासी कीकावत तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती हीरकी पत्नी हाकरचन्द मीणा निवासी कीकावत तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।

— विपक्षीया

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिनेश कुमार मीणा, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त कराये जाने आवंटन आदेश दिनांक 28.07.2022 अन्तर्गत प्रकरण सं. 347/22

* निर्णय *

दिनांक -29.08.2024



प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौज कीकावत तहसील ऋषभदेव की हाल आराजी नम्बर 1501 रकबा 0.4100 है. भूमि स्थित है। उक्त आराजी पर विगत पिछले कई वर्षों से प्रार्थी का कब्जा हो प्रार्थी के मकान आदि बने हुए हैं। इसी आराजी के पास में स्थित आराजी नम्बर 1499 जो प्रार्थी के खातेशुदा है और उसमें प्रार्थी खेती कर अपनी आजीविका चला रहा है। आराजी नम्बर 1501 में प्रार्थी ने मकान बनाये, लाईट कनेक्शन आदि लिया तथा उपयोग-उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से उनके विरुद्ध तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा वर्ष 2019 व 2021 में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई एवं नोटिस जारी किये गये। उक्त आराजी में से 0.2000 है. भूमि का आवन्तन विपक्षी के नाम गुप-चुप तरीके से बिना प्रकिया अपनाये कर दिया, लेकिन आज भी मौके पर प्रार्थी काबिज है, जिस बाबत पटवारी ने दिनांक 21.02.2023 को प्रार्थी का कब्जा होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया। विपक्षी को दिनांक 28.07.2022 को गुप-चुप तरीके से आराजी नम्बर 1501 में से 0.2000 है. भूमि का आवन्तन


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)



नियमों के विपरीत किया गया आवंटन पूर्व न तो उदघोषणा पत्र जारी किया गया, न ही आपत्ति आमन्त्रित की गई, यदि आवंटन बाबत उदघोषणा जारी की जाती तो प्रार्थी ही आपत्तियां पेश करता। उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1499 से सटमा है जबकि विपक्षी की आसपास में न तो कृषि भूमि है, न ही मकानात है। विपक्षी के मकान व कृषि भूमि आवंटन शुदा भूमि से काफी दूर स्थित है। कथित आवंटन में तहसीलदार की अनुशंषा व उपस्थिति नहीं होने से एबइनिश्योवोर्ड हो बिना अधिकार के आवंटन किया है जो निरस्त योग्य है। भूमि पर प्रार्थी का वर्षों से कब्जा हो ओक्यूपाईड है जो धारा 91 की कार्यवाही से स्पष्ट है ऐसे में जब कोई भूमि अनओक्यूपाईड थी ही नहीं तो उसका आवंटन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा आवंटन आवेदन प्रस्तुत किया उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र व आवेदन में न तो दिनांक अंकित है, न शपथ पत्र में दिनांक अंकित है। शपथ पत्र के गवाह भी विपक्षी स्वयं का पुत्र एवं एक अन्य जो अन्यत्र गांव का हो, उसे इस गांव के सम्बन्ध में कोई जानकारी भी नहीं थी, फिर भी उनके कथनों पर विश्वास कर गम्भीर त्रुटि कारित कर किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन कमेटी के निर्णय मे भी कांट-छाट की हुई है जो आवंटन की पूरी प्रक्रिया को सन्देहास्पद बनाती है। उक्त निर्णय में दिनांक, रकबा गांव के नाम में कांट-छाट की हुई है। उक्त आवंटन प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान किया गया है जिसमें न तो कमेटी ने मौका देखा, न ही मौके की कोई रिपोर्ट ली, न आवंटन के पश्चात मौके पर आवन्टी को कब्जा सौंपा हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही है। न ही ऐसा रिकार्ड हो सकता है, क्योंकि मौके पर आज भी प्रार्थी ही काबिज है। विपक्षी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तथ्य प्रस्तुत कर उक्त आवंटन गुप-चुप तरीके से झूठी रिपोर्ट के आधार पर कराया है, जबकि विपक्षी के पति एवं पुत्रों के नाम इसी गांव में अन्य भूमि स्थित है व विपक्षीया स्वयं के नाम पर भी अन्यत्र भूमियां स्थित है, जबकि प्रार्थी के पास केवल न्यूनतम भूमि खातेदारी में है। विपक्षी ने कथित आवंटन के तहत आवंटित भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं किया है, न विवादित भूमि पर कभी काश्त की है, न आवंटन की शर्तों की पालना ही की है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा हो उसके मकानात बने हुए है व लाईट कनेक्शन भी लिया हुआ है। विपक्षी अवैध आवंटन से प्रार्थी के कब्जे में जबरन दखलन्दाजी करने पर प्रार्थी को उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर खाते की नकल व आवंटन की पत्रावली प्राप्त की तो विपक्षीया द्वारा उक्त गलत तरीके से कराये गये आवंटन की जानकारी हुई। विपक्षीया को आवंटनशुदा भूमि हर हाल में निरस्त योग्य है। हाल ही में विपक्षी द्वारा मौके पर कब्जा करना चाहा तो प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी सर्वप्रथम हुई, जिस पर तत्काल प्रार्थी ने आवंटन पत्रावली की नकल प्राप्त की व इसी दौरान अधिवक्ताओं की हडताल हो जाने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका और हडताल समाप्ति उपरान्त अधिवक्ता के बीमार हो जाने से अब शीघ्र प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत किया जा रहा है। धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना



पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाय। विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश तारीख 28.07.2022 को निरस्त फरमाया जाय तथा उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मीणा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1501 का रकबा 0.21 के हिस्से पर विगत 60 वर्षों से अधिक समय से पैतृक रूप से काबिज काशत चले आ रहे हैं और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन कई वर्षों से पेनल्टी जमा कराती आ रही है और मौके पर काबीज होकर खेती करते हुए मकान भी बना कर अपने परिवार सहित निवासरत है। विपक्षीया को नियमानुसार उप जिलाधीश ऋषभदेव द्वारा दिनांक 28.07.2022 को आराजी नम्बर 1501 का रकबा 0.20 है। फाईल नम्बर 347 प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021-22 कैम्प किकावत आवंटीत किया गया है। प्रार्थी के हिस्से पर विपक्षीया काबीज नहीं है प्रार्थीया अपने को आवंटीत की गई भूमि पर ही काबिज है प्रार्थी की कृषि भूमि पर विपक्षीया का कब्जा नहीं है। प्रार्थी के द्वारा उक्त वाद में वर्णित आराजी नम्बर पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी, विपक्षीया की आवंटीत कृषि भूमि को हडपना चाहता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को पेश किया गया है। मौके पर बाउण्ड्री व मकान विगत 35 वर्षों से भी ज्यादा समय से बना हुआ है। प्रार्थी की बाउण्ड्री भी मौके पर बनी हुई है। निर्विवाद बाउण्ड्री प्रार्थी व विपक्षीया के हिस्से पर लम्बे समय से बनी हुई है। उसी अनुरूप मौके पर काबिज है। आराजी संख्या 1501 पर धारा 91 के अधीन विपक्षीया के द्वारा पेनल्टी जमा कराई गई है। जिससे भी स्पष्ट है कि विपक्षीया नियमानुसार ही मौके पर निर्विवाद रूप से लम्बे समय से काबिज काशत होकर मकान बनाकर निवासरत है। प्रार्थी का मकान उक्त भूमि पर नहीं बना हुआ है। पेश किये गये फोटोग्राफ संदेहास्पद है। प्रार्थी को सबकुछ जानकारी मे होते हुए भी मयाद अधिनियम की पालना नहीं की गई है इस कारण से प्रार्थी का वाद सव्यय खारिज किया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी के द्वारा जानबुझकर विवाद उत्पन्न किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद में मालीयत का आंकलन सही नहीं किया गया है इस कारण से निश्चित न्यायालय शुल्क पर वाद पेश नहीं है। प्रार्थी का वाद खारिज किया जावे। अतः प्रार्थना है कि वादी का जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी के वाद को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 347/2022 तलब की गई। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि से लगती हुई मुझ प्रार्थी की भूमि है। उक्त भूमि पर मेरा कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार ऋषभदेव


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)



ने 91 का नोटिस दे रखा है। विपक्षीया द्वारा 28.7.2022 को आवंटन करा लिया जबकि मेरा मकान बना हुआ है जिसकी रिपोर्ट पटवारी द्वारा कर रखी है। मिलीभगत कराकर आवंटन करा लिया है। आवंटन कमेटी में तहसीलदार के हस्ताक्षर भी नहीं है। बहुत जगह कटौत कर रखी है। बिना मौका देखे आवंटन करा लिया। विपक्षी की आस पास कहीं पर जमीन नहीं है। मेरा मकान है बिजली कनेक्शन ले रखा है। आवंटन खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि 60 वर्षों से काबिज हूं। मौके पर मकान बना रखा है। आवंटन प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन हुआ है। दिलीप कुमार सीमा विवाद को लेकर झगडा करता है। सीमा को लेकर पूर्व में समझौता हुआ है। मैं खातेदार हूं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया, वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 1501 पर प्रार्थी का मकान बना होकर वर्षों से काबिज है। विपक्षीया द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन करा लिया है। उक्त आवंटन को निरस्त कराने के लिए प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने मकान का गुगल मैप, मौके पर मकानात के फोटोग्राफ्स, पटवारी हल्का किकावत का दिनांक 21.02.2023 का प्रमाण पत्र, बिजली बिल, तहसीलदार का 91 का नोटिस की प्रति आदि पेश की। उक्त दस्तावेज के अध्ययन से प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट हो रहा है कि मौके पर दिलीप कुमार का मकान बना होकर वह परिवार सहित निवास कर रहा है। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा धारा 91 का नोटिस दिनांक 16.10.2019, 25.12.2021 का दे रखा है जिसमें भी आराजी संख्या 1500, 1501 पर दिलीप पिता मोगा मीणा का कब्जा होना स्पष्ट है। पटवारी किकावत द्वारा भी दिनांक 21.02.2023 से प्रमाण पत्र जारी कर ग्राम किकावत की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खसरा संख्या 1501 में प्रार्थी दिलीप कुमार का मकान होना अंकित किया है। विपक्षीया द्वारा आराजी नम्बर 1501 में उसका कब्जा होने सम्बन्ध में धारा 91 का नोटिस पेश किया है जिससे भी प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कब्जा साबित होता है। दोनो ही पक्ष दस्तावेज से अपने कब्जे होने का कथन कर रहे हैं। विपक्षीया द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी दिलीप का मौके पर मकान बना होने के सम्बन्ध में खण्डन स्वरूप कोई तथ्य पेश नहीं किया। आराजी नम्बर 1501 में दिलीप कुमार का मकान नहीं होने का तथ्य भी विपक्षी साबित नहीं करा पायी। इससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर विपक्षी का मकान बना हुआ है। मकान बना होने से भूमि पर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया है उसमें कहीं न कहीं मौके की स्थिति बाबत त्रुटि कारित हुई है। मौके पर प्रार्थी का मकान होने से उक्त

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर मौजा किकावत तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर की आराजी स. 1501 रकबा 0.2000 है. भूमि का उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा दिनांक 28.07.2022 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार ऋषभदेव को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालये लिखवाया जाकर सुनाया गया।



1811
(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
उदयपुर (राज.)